संख्या–3030 / 18–4–10–8(हस्तशिल्प) / ..

प्रेषक,

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,उद्योग,
उ0 प्र0 कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 09 सितम्बर, 2010

विषय–(1)उत्तर प्रदेश लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार योजना (2) विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार योजना (3) निर्यात पुरस्कार योजना का नाम कमशः (1)बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार, (2) बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार एवं (3)मान्यवर श्री काशीराम निर्यात पुरस्कार योजना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–.../पुरस्कार / 2010–11, दिनांक 10.8.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेशा हुआ है कि (1) उत्तर प्रदेश के लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार योजना (2) विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार योजना, (3) निर्यात पुरस्कार योजना का नाम परिवर्तित करते हुए कमशः (1) बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर लघु उद्यमियो को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार (2) बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर विशिष्ट हस्तशिल्पियो को प्रादेशिक पुरस्कार (3) मान्यवर श्री काशीराम निर्यात पुरस्कार करने एवं भविष्य में तदनुसार उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त पुरस्कारों की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

3. कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या तथा दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
3. समस्त संयुक्त निदेशक उद्योग परिक्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0।
4. समस्त महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
5. लघु उद्योग अनुभाग–2
6. सहायक निदेशक,उद्योग, कानपुर (श्री राजेश यादव) को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राम किशोर)
अनु सचिव।

16 SEP 2010

संख्या- 564 /18-2-2009-30(15)/2002

प्रेषक

जे0एन0 चैम्बर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 अगस्त,2009

विषयः- उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य पुरस्कार योजना की गाइड लाइन्स विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2969/एम0एस0एम0ई0पुरस्कार/संशो0 नियमावली/2008-09 दिनांक 16.12.2008 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जाने के लिए निम्न गाइड लाइन्स/नियमावली निर्धारित की जाती है:-

उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु राज्य पुरस्कार योजना

योजना का नाम- "उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु राज्य पुरस्कार योजना"

उद्देश्य-

प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 शासन द्वारा प्रादेशिक लघु उद्योग पुरस्कार योजना वर्ष 1987-88 से प्रारम्भ की गयी थी। वर्तमान आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम,2006 (MSMED Act,2006) उद्यम क्षेत्र के त्वरित विकास हेतु जारी किया गया है जिसके फलस्वरूप उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में संचालित प्रादेशिक लघुउद्योग पुरस्कार योजना में आवश्यक संशोधन किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य पुरस्कार योजना" प्रख्यापित की जा रही है।

परिभाषा- एम0एस0एम0ई0एक्ट-2006 के अनुसार-

1. सेवा क्षेत्र-

- सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सूक्ष्म उद्यम इकाई की अधिकतम पूंजी निवेश सीमा रू0 10.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- लघु उद्योग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली इकाई की अधिकतम पूंजी निवेश सीमा रू0 10.00 लाख से अधिक परन्तु रू0 2.00 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- मध्यम उद्योग के अन्तर्गत आने वाली इकाई की अधिकतम पूंजी निवेश सीमा रू0 2.00 करोड़ से कम न हो परन्तु रू0 5.00 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिये।

--2

18 AUG 2009

Sri Tiwari

18/8/09

(71)
18-8-09

2. मैन्यु फ़ैक्चरिंग क्षेत्र(उद्योग क्षेत्र)

- मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सूक्ष्म उद्योग की इकाई की अधिकतम पूंजी निवेश सीमा रू0 25.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- लघु उद्योग के अन्तर्गत आने वाली इकाई की अधिकतम पूंजी निवेश सीमा रू0 25.00 लाख से कम न हो परन्तु रू0 5.00 करोड़ से अधिक नहीं।
- मध्यम उद्योग के अन्तर्गत आने वाली इकाई की अधिकतम पूंजी निवेश सीमा रू0 5.00 करोड़ से कम न हो परन्तु रू0 10.00 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिये।

3. योजना का विवरण-

उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अधिक से अधिक उद्यमियों को हाई टर्नओवर, सफल एवं उत्कृष्ट उत्पाद, गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास प्रयासों हेतु पुरस्कार दिया जायेगा जो निम्नवत श्रेणी में होंगे:-

(क)उ0प्र0 उद्यमी पुरस्कार रू0 1.00 लाख (ड्राफ्ट) स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र

पुरस्कार संख्या-1, धनराशि रू0 रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख)

यह पुरस्कार सभी श्रेणियों जैसे-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में चयनित प्रथम इकाईयों में से मास्टर तालिका के अंकों व सर्वाधिक टर्नओवर के आधार पर सर्वोत्कृष्ट इकाई को निर्धारित व्यवस्था अनुसार दिया जाएगा।

(ख)सूक्ष्म उद्योग श्रेणी

पुरस्कार संख्या-प्रथम-1, धनराशि रू0 25,000.00 (ड्राफ्ट) पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र।
पुरस्कार संख्या-द्वितीय-1, धनराशि रू0 20,000.00 (ड्राफ्ट) पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र।

यह पुरस्कार सूक्ष्म उद्योग श्रेणी के उद्यमियों को मास्टर तालिका के अंकों व टर्नओवर के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग)लघु उद्योग श्रेणी

पुरस्कार संख्या-प्रथम-1, धनराशि रू0 25,000.00 (ड्राफ्ट) पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र।
पुरस्कार संख्या-द्वितीय-1, धनराशि रू0 20,000.00 (ड्राफ्ट) पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र।

यह पुरस्कार लघु उद्योग श्रेणी के उद्यमियों को मास्टर तालिका के अंकों व टर्नओवर के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

(घ)मध्यम उद्योग श्रेणी

पुरस्कार संख्या-प्रथम-1 धनराशि रू0 25,000.00 (ड्राफ्ट) पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र।
पुरस्कार संख्या-द्वितीय-1 धनराशि रू0 20,000.00 (ड्राफ्ट) पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र।

यह पुरस्कार मध्यम उद्योग श्रेणी के उद्यमियों को मास्टर तालिका के अंकों व टर्नओवर के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

(ङ)सर्विस श्रेणी

पुरस्कार संख्या-प्रथम-1 धनराशि रू0 25,000.00 (ड्राफ्ट) पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र।
पुरस्कार संख्या-द्वितीय-1 धनराशि रू0 20,000.00 (ड्राफ्ट) पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र।

यह पुरस्कार सर्विस श्रेणी (12 सेवा क्षेत्र) जिनका विवरण आगे दिया गया है, के उद्यमियों में से मास्टर तालिका में सर्वाधिक टर्नओवर आधार पर प्रदान किया जायेगा।

(च) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योगों में विशिष्ट प्रयासों हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमी पुरस्कार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग उद्योगों में विशिष्ट प्रयासों हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमी को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया जायेगा जो पात्रता अनुसार उक्त श्रेणी में चयनित इकाई को प्रदान किया जाएगा।

अनु0जाति/अनु0जनजाति उद्यमी पुरस्कार संख्या-1 रू0 25,000.00(स्वर्ण पदक,प्रशस्ति पत्र)।
महिला उद्यमी- पुरस्कार संख्या-1 रू0 20,000.00(स्वर्ण पदक,प्रशस्ति पत्र)।

(छ) सूक्ष्म, लघु उद्यमियों हेतु विशिष्ट गुणवत्ता उत्पाद पुरस्कार-

कुल पुरस्कार संख्या--14 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रू015,000.00(पदक, प्रशस्ति पत्र)× 14=रू0 2,10,000.00

निम्नलिखित 14 चयनित उत्पाद समूहों में से चयन मास्टर तालिका अनुसार प्रत्येक समूह के लिए एक पुरस्कार उक्त श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त इकाई को दिया जायेगा:-

1.	लेदर	8.	कैमिकल
2.	मैकेनिकल	9.	ग्लास एण्ड सिरामिक्स
3.	इलेक्ट्रीकल्स	10.	होजरी एवं रेडीमेड गारमेन्ट्स
4.	फूड	11.	लाख/लकड़ी के खिलौने/फर्नीचर
5.	कारपेट/दरी	12.	स्पोर्ट्स गुड्स
6.	जरी	13.	सिल्क
7.	बिल्डर्स/हार्डवेयर आदि।	14.	विविध हस्तशिल्प उद्योग

उपरोक्त 14 श्रेणियों में से सर्वाधिक टर्नओवर व सर्वाधिक अंक प्राप्त इकाई को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी अनुसार प्रदान किया जायेगा।

(ज) सेवा क्षेत्र उद्यमी विशिष्ट पुरस्कार:-

कुल पुरस्कार संख्या-12, प्रत्येक श्रेणी में 1 पुरस्कार रू0 15,000.00×12=रू0 1,80,000.00

निम्नलिखित 12 चयनित सेवा समूहों में से प्रत्येक समूह में सर्वाधिक टर्नओवर वाली इकाई को एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जायेगा:-

1. टूरिज्म	2. शापिंग मॉल, रिटेल सेक्टर
3. एजूकेशन	4. हेल्थकेयर
5. मीडिया, एडवरटाइजिंग एण्ड एन्टरटेनमेन्ट	6. आई.टी. एण्ड आई.टी.ई.एस.
7. लीगल	8. होटल एवं कैटरिंग
9. ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस	10. कन्स्ट्रेक्शन एण्ड रीयल इस्टेट
11. फाइनेन्शियल सर्विसेस	12. विविध सेवा

5. आवेदन प्रक्रिया-

योजना का विस्तृत प्रचार औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के उद्यमियों के मध्य समाचार पत्र व अन्य प्रचार माध्यमों से किया जायेगा। इस हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र स्थानीय समाचार-पत्र निःशुल्क प्रकाशन कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे साथ ही स्थानीय औद्योगिक एवं

सर्विस एसोसिएशन्स का भी यथावश्यक सूचित किया जायेगा ताकि उत्कृष्ट इकाईयों को चयनित किया जा सके।

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित निर्धारित तिथि से पूर्व पर्याप्त संख्या में आवेदन उद्योग निदेशालय को भेजेंगे।

6. पात्रताः-

सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो उद्योग विभाग के अन्तर्गत एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट,2006 के अन्तर्गत पार्ट-II का मेमोरेण्डम दाखिल कर पावती प्राप्त किये हों एवं मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र आदि में कार्यरत हैं, आवेदन करने के पात्र होंगे।

उपरोक्त सभी पुरस्कार हेतु पात्र उद्यमी किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर न हो तथा विगत वर्ष के मुकाबले नेगेटिव ग्रोथ न हो।

1. सूक्ष्म उद्योग इकाई को पुरस्कार पात्रता हेतु इकाई में अधिकतम पूंजी निवेश प्लान्ट एवं मशीनरी में रू0 25.00 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये।
2. लघु उद्योग इकाई में प्लान्ट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अधिकतम रू0 5.00 करोड़ से अधिक नहीं होगा।
3. मध्यम उद्योग इकाई में प्लान्ट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अधिकतम रू0 10.00 करोड़ से अधिक नहीं होगा।
4. सर्विस श्रेणी इकाई में प्लान्ट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अधिकतम रू0 5.00 करोड़ से अधिक नहीं होगा। सर्विस श्रेणी की इकाईयॉं उल्लिखित 12 श्रेणियों में से किसी एक में पात्रा के अनुसार आवेदन करेंगी।
5. पात्रता के अनुसार उपयुक्त मानक के आधार पर अधिकतम प्राप्त अंकों वाली इकाई को प्रथम तथा दूसरा स्थान प्राप्त इस श्रेणी की इकाई को द्वितीय पुरस्कार दिया जायेगा।
6. पुरस्कार चयन की सूची 14 श्रेणियों में प्राप्त आवेदनों में से सूक्ष्म उद्योग के आवेदन को अंकों के अनुसार सर्वाधिक अंक श्रेणी में प्राप्त इकाईयों को प्रथम तथा उसके बाद प्राप्त होने वाले अंकों की इकाई को द्वितीय पुरस्कार दिया जायेगा।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को पुरस्कार हेतु उस श्रेणी की चयन तालिका के आधार पर सर्वाधिक अंक प्राप्त व सर्वाधिक टर्नओवर प्राप्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमी को पुरस्कृत किया जायेगा। इसी प्रकार महिला उद्यमी श्रेणी में सर्वाधिक अंक व सर्वाधिक टर्नओवर प्राप्त महिला उद्यमी को चयनित किया जायेगा।
8. इकाई का टर्नओवर सीए/बैंक द्वारा वर्षवार प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिसमें पुरस्कार वर्ष व उससे पूर्व के टर्न ओवर के आंकड़े सीए/बैंक से सत्यापित मान्य होंगे।
9. इकाई को विगत वर्ष की बैलेंसशीट भी संलग्न की जानी आवश्यक है तथा आंकड़े सीए/बैंक द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है।

--5

10. इकाई का आवेदन महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संस्तुति कर प्रेषित किया जायेगा।

7. **उ0प्र0 उद्यमी पुरस्कार**

मास्टर चयन तालिका अनुसार समस्त श्रेणियों की प्रथम इकाई में से उ0प्र0 उद्यमी पुरस्कार सर्वाधिक टर्न ओवर व अधिकतम अंकों के आधार पर दिया जायेगा। इकाई की संदर्भित वर्ष में पूर्व वर्ष की तुलना में नेगेटिव ग्रोथ नहीं होना चाहिये।

8. **चयन समितिः-**

उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यग योजनान्तर्गत सभी पुरस्कारों का चयन राज्य स्तरीय चयन समिति करेगी, जो निम्नवत गठित की जायेगी:-

(1)	आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0-	अध्यक्ष
(2)	निदेशक, आई.आई.टी. कानपुर/प्रतिनिधि-	सदस्य
(3)	निदेशक, आई.आई.एम., लखनऊ/प्रतिनिधि-	सदस्य
(4)	प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.आइ.डी.सी./प्रतिनिधि-	सदस्य
(5)	प्रबन्ध निदेशक, पिकप/प्रतिनिधि-	सदस्य
(6)	प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. वित्तीय निगम/प्रतिनिधि-	सदस्य
(7)	निदेशक, एम.एस.एम.ई. सेवा संस्थान, भारत सरकार, कानपुर-	सदस्य
(8)	निदेशक, एच.बी.टी.आई. कानपुर-	सदस्य
(9)	निदेशक, सेन्टर फार मैनेजमेन्ट स्टडी, कानपुर-	सदस्य
(10)	निदेशक, एन.एस.आई.सी. -	सदस्य
(11)	हैड फैकल्टी ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, सी.एस.एम.विश्व विद्यालय कानपुर-	सदस्य
(12)	क्षेत्रीय निदेशक, एन.पी.सी., कानपुर-	सदस्य
(13)	अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर-	सदस्य
(14)	सिडबी के प्रतिनिधि-	सदस्य
(15)	संयुक्त/उप निदेशक उद्योग (कानपुर), उ0प्र0-	सदस्य/सचिव

चयन समिति का कोरम मेजॉरिटी के आधार पर होगा।

चयन समिति/अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारी/विशेषज्ञ को समिति में नामित कर सकते हैं तथा चयन प्रकिया का निर्धारण व परिवर्तन आवश्यक संस्तुति उपरान्त शासन की सहमति से कर सकते हैं।

9. **मानक/अंकों का निर्धारणः-**

सभी श्रेणियो की अलग-अलग व सम्मिलित मास्टर चयन सूची बनाई जायेगी, जिसके आधार पर अलग-अलग श्रेणी दर्शाते हुए अंकों व टर्नओवर के आधार पर प्रथम व द्वितीय पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। यदि किसी इकाई को श्रेष्ठता के आधार पर एक से अधिक पुरस्कार के अन्तर्गत अनुमन्यता होगी तो उसे श्रेष्ठता अनुसार एक पुरस्कार ही दिया जाएगा तथा अगली (Next) इकाई को एवार्ड अपग्रेड कर दिया जायेगा।

निम्नलिखित मानक के अनुसार अंकों का निर्धारण किया जायेगा, जिन बिन्दुओं पर मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है, उन पर समिति अपने विवेक से निर्णय लेगी।

--6

10. निर्धारित मानदण्ड एवं अंक

क्र.सं.		पुरस्कार हेतु अंकों का मापदण्ड	अधिकतम अंक
1.	(अ)	वार्षिक टर्नओवर पर	35
	(ब)	ग्रोथ पर	15
2.	(अ)	निर्यात पर	10
	(ब)	ग्रोथ पर	5
3.		सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड ब्लैक बैल्ट	10
		ग्रीन बैल्ट	5
4.		आई.एस.ओ. सर्टिफिकेशन	10
5.		बी.आई.एस./इन्टरनेशनल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन/अन्य सेक्टर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन(राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर)	10
		कुल अंक-	100

नोट- (1) उपरोक्त सभी अभिलेखों की फोटोप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

(2) इकाई भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी संस्था से पंजीकृत हो। पंजीयन प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

(3) इकाई वर्तमान में कार्यरत हो।

(4) इकाई के लेटर हेड पर टर्न ओवर के आंकड़ों की पुष्टि बैलेंश शीट के अनुसार की जायेगी तथा यह भी अण्डरटेकिंग दी जायेगी कि आवेदन पत्र में सभी विवरण सही पाये गये हैं।

कृपया उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

Chamber 31/8/12

(जे0एन0 चैम्बर)

प्रमुख सचिव।

उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य पुरस्कार हेतु आवेदन–पत्र

वर्ष – 2009–10

फोटो

प्रोप. / पार्टनर / डायरेक्टर / मुख्य प्रवर्तक / सीईओ / एमडी के नाम/ हस्ताक्षर सहित

1. इकाई का नाम : ....

   कार्यस्थल पता : ....

   ....

2. प्रोपराइटर / डायरेक्टर / मुख्य प्रवर्तक / पार्टनर / सीईओ / एमडी का नाम व पदनाम : ....

3. स्थापना वर्ष : ....

4. दूरभाष सं0 (एस.टी.डी. कोड सहित) : ....(कार्यालय)

   ....(आवास)

   फैक्स / ई–मेल पता ....

5. इकाई का स्वरूप (प्रोपराइटर / पार्टनरशिप / प्रा.लि. / अन्य) ....

6. सूक्ष्म / लघु / मध्यम उद्योग सेवा क्षेत्र : ....

7. किस विशिष्ट उत्पाद श्रेणी / सेवाक्षेत्र हेतु आवेदन किया जा रहा है : ....

8. यदि उद्यमी अनु.जाति / ज.जाति का है तो (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) : ....

	यदि महिला उद्यमी है तो मुख्य कार्यकर्ता एवं प्रमोटर का प्रमाण–पत्र (यदि इस श्रेणी हेतु भी आवेदन कर रही है)	:	....
9.	पंजीकरण सं0 एवं दिनांक	:	संख्या.................................दिनांक..............................
	मेमोरेण्डम पार्ट II	:	संख्या.................................दिनांक..............................
10.	पूंजी विनियोजन लाख रु0 में	:	....
11.	मुख्य उत्पाद / सेवा (विवरण दें)	:	....
12. क	वार्षिक टर्न ओवर (लाख रु0 में)	:	वर्ष – 2007–08.................................. वर्ष – 2008–09..................................
ख	वार्षिक निर्यात (लाख रु0 में)	:	वर्ष –. 2007–08.................................. वर्ष – 2008–09..................................
13.	शुद्ध लाभ टैक्स उपरान्त (लाख रु0 में) आयकर से संबंधित कम्पनी / इकाई रिटर्न (संलग्न)	:	....
14.	सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड ब्लैक बैल्ट /	:	....
	ग्रीन बैल्ट (विवरण दें)	:	....
15.	आईएसओ. सर्टिफिकेशन (विवरण दें)	:	....
	बीआईएस / इन्टरनेशनल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन / अन्य सेक्टर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन (राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर – विवरण दें)	:	....

1. उपरोक्त सभी अभिलेखों की फोटोप्रति आवेदन–पत्र के साथ अधिकृत प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित, मोहर सहित संलग्न की जायेगी।
2. इकाई भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी संस्था से पंजीकृत हो। पंजीयन प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।
3. इकाई वर्तमान में कार्यरत हो।
4. इकाई के लेटर हेड पर टर्न ओवर के आंकड़ों की पुष्टि बैलेंस शीट के अनुसार दी जायेगी।
5. ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष सी.ए. द्वारा सत्यापित हो।

अण्डरटेकिंग

उपरोक्त सभी सूचनायें सही हैं एवं प्रमाणित की जाती हैं।

हस्ताक्षर

( )
प्रोपराइटर / निदेशक / मुख्य प्रवर्तक /
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर
कम्पनी / इकाई की मोहर सहित।

संस्तुति

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र
जनपद...